

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2013/कार्तिक 20, 1935

No. 259]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2013/KARTIKA 20, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2013

सं० 36 (आर.ई. 2013)/2009-2014

विषय:—सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए वर्ष 2013-14 (अक्टूबर, 2013-सितम्बर, 2014) के लिए 10,000 मीट्रिक टन सफेद चीनी का आबंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एएम 08/निर्यात सैल (पार्ट).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, अक्टूबर, 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के लिए यूरोपीय संघ को सीएक्सएल रियायती चीनी के निर्यात के लिए सफेद चीनी की कुल 10,000 मीट्रिक टन (दस हजार मीट्रिक टन) मात्रा को आबंटित करते हैं।

2. यथा संशोधित, निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 में एचएस कोड 17010000 के अनुसार, तरजीही कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात के लिए मैसर्स इंडियन शुगर एग्जिम कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली नामित एजेंसी है।

3. दिनांक 25.9.2009 के यूरोपीय संघ विनियमन (ईसी) संख्या 891/2009 के अनुच्छेद-10 के अनुसार “आदेश सं. 09.4321 के तहत सीएक्सएल रियायती चीनी के कोटे हेतु मुक्त वितरण के लिए यह रिलीज विनियमन (ईईसी) सं. 2454/93 के अनुच्छेद 55 से 65 के अनुसार संबंधित तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्गम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी”। तदनुसार, निर्यात प्राधिकार दस्तावेज ईयूआर और जीएसपी में निम्नानुसार प्रविष्टियाँ की जानी हैं—

(i) सीएक्सएल रियायती चीनी

“[अनुसूची सीएक्सएल (यूरोपीय समुदाय) के तहत विनियमन (ईसी) सं. 891/2009 का अनुप्रयोग। सीएक्सएल रियायती चीनी क्रम सं० 09.4321]”

4. उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार जीएसपी प्रमाण—पत्र और उद्गम का प्रमाण—पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा और ईयूआर प्रपत्र को सीमाशुल्क विभाग के द्वारा पोतलदान के पत्तन पर पृष्ठांकित किया जाना है।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th November, 2013

No. 36 (RE-2013)/2009-2014

Sub: Allocation of 10,000 MTs of white sugar for the year 2013-14 (October, 2013- September, 2014) for export to EU under CXL Quota.

F. No. 01/91/180/879/AM 08/Export Cell (Part).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby allocates a quantity of 10,000 MTs (Ten thousand metric tonnes) of white Sugar for export of CXL Concessions Sugar to European Union (EU) for the period October, 2013 to September, 2014.

2. As per HS Code 1701 00 00 in the Schedule-2 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items, as amended, M/s. Indian Sugar Exim Corporation Limited, New Delhi is the designated agency for export of Sugar to EU under Preferential Quota.

3. As per Article 10 of European Union Regulation (EC) No. 891/2009 of 25.9.2009 “release for free circulation for the quotas of CXL concession sugar with order no. 09.4321 shall be subject to the presentation of a certificate of origin issued by the competent authority of the third country concerned in accordance with articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No. 2454/93”. Accordingly, the entries to be made in the export authorization document EUR and GSP are as follows:-

(i) CXL Concessions Sugar

“[Application of Regulation (EC) No. 891/2009 under Schedule CXL (European Communities). CXL Concessions Sugar Serial No. 09.4321]”.

4. GSP Certificate and Certificate of Origin as per details given in para (3) above shall be issued by the Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai and EUR Form is to be endorsed by Customs at the Port of Shipment.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade